बी॰ए॰ तृतीय वर्ष (राजनीति विज्ञान)
प्रश्न पत्र — द्वितीय (भारतीय राजनीतिक विचारक)

भीष्म

— डॉ. सुधाकर सिंह

भीष्म के राजनीतिक विचार महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व में मिलते हैं। शांति पर्व में दंडनीति (राजशासन) राजधर्म (राजा का कर्तव्य) शासन पद्धति, मंत्रिपरिषद और कर व्यवस्था के विषय में विचार मिलते हैं।

⊙ राज्य की उत्पत्ति — भीष्म के अनुसार कृतकाल (प्राकृतिक अवस्था) में राज्य नामक संस्था का अस्तित्व नहीं था। समाज की रचना के बाद लम्बी अवधि तक मनुष्य सुख और सामंजस्य के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी शासन सत्ता के अपने आंतरिक सद्गुणों के कारण जीवन यापन करता था। परंतु कालांतर में मनुष्य सदाचार से विमुख होकर स्वार्थ, लोभ तथा वासना के वश में हो गया। कृषि कार्य करने के ज्ञान के फलस्वरूप मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से अधिक अन्न उत्पादन करने लगा। वह उत्पादों का संचय करने लगा मनुष्य ने एक दूसरे के संचित धन को बलपूर्वक छीनना आरम्भ कर दिया। मनुष्य में कर्तव्य तथा अकर्तव्य के ज्ञान के समाप्त होने से वेद आदि नष्ट होने लगे। संसार में फैली इस अधर्म की अवस्था से धर्म अर्थात परिवार सम्पत्ति तथा वर्णाश्रम धर्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की रक्षा आदि नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति से राहत पाने के उद्देश्य से मनुष्यों ने जगत पिता ब्रह्मा की शरण ली और एक ऐसी सत्ता की मांग की जो उनकी सम्पत्ति, परिवार तथा वर्ण धर्म की रक्षा कर सके। मनुष्यों की इस मांग पर ब्रह्मा ने मनु को पृथ्वी पर राजा बनने की आज्ञा दी। शांतिपर्व के सरसठवें अध्याय से पता चलता है कि मनुष्य तथा प्रथम राजा (मनु) के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अनुसार वे अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग कर के रूप में राजा को देंगे।

इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में धर्म, सम्पत्ति, परिवार तथा वर्ण व्यवस्था की रक्षा के उद्देश्य से राजा की आवश्यकता अनुभव हुई जिसके परिणामस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। शांतिपर्व में राज्य की उत्पत्ति दैवीय उत्पत्ति तथा सामाजिक समझौता सिद्धांतों के आधार पर माना गया।

⊙ राज्य के अंग — भीष्म ने राज्य को सप्तांग कहा है। शांति पर्व के अध्याय 69 में आत्मा, सेवक, कोष, दंड, मित्र, जनपद और पुर का उल्लेख मिलता है। सभी अंगों का समान महत्व है। भीष्म राज्य की प्रकृति के आंगिक या सावयव सिद्धांत का समर्थन करते हैं अर्थात राज्य मानव शरीर के विभिन्न अंगों की तरह ही विभिन्न अंगों से निर्मित है उनका विशेष कार्य तथा महत्व है।

Scanned with CamScanner

① राज्य का उद्देश्य — भीष्म के अनुसार राज्य या राजा का उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा और सुख, समृद्धि तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। प्रजा के जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति है अतः राज्य का कार्य लोगों की इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग देना है। राज्य साध्य नहीं बल्कि साधन है।

① राजा का पद, उसके दायित्व — महाभारत में राजा शब्द की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति से जुड़ी है। भीष्म के मतानुसार राजा देव है जो नर रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरता है। राजा में देवता वास करते हैं — आदित्य (सूर्य), यम, अग्नि और कुबेर। राजा ही प्रजा के मानसिक उत्कर्ष, सद्गति प्रतिष्ठा और परम सुख के लाभ का कारण है क्योंकि वह विभिन्न देवताओं के समान कार्य करके हमेशा प्रजा हित चिंतन में लगा रहता है। राजा को युद्ध विद्या में निपुण, दान करने वाला, शुद्ध आचरण करने वाला, जितेन्द्रिय, मनोहर आभूषण धारण करने वाला, ज्ञानवान पंडितों का सम्मान करने वाला, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला तथा समस्त प्रजा के हित में तत्पर रहने वाला होना चाहिए। सभा पर्व में राजा के दोषों का भी उल्लेख है जैसे- नास्तिकता, क्रोध, आलस्य, चंचलता, विषय की चिंता, मंत्रणा गुप्त न रखना, मंगल कार्य में सम्मिलित न होना आदि। महाभारत से जानकारी मिलती है कि राजगद्दी का उत्तराधिकारी पैतृक होता था ज्येष्ठ पुत्र में कोई कमी होने पर उससे छोटा पुत्र गद्दी पर बैठता था। नये राजा की नियुक्ति पर साधारणतया जनता की स्वीकृति ली जाती थी। किसी राजपुत्र को युवराज बनाने की प्रथा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के बिना कोई व्यक्ति वैध राजा नहीं माना जाता था।

महाभारत में राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा हित माना गया है प्रजा की संपन्नता, सुख शांति और समृद्धि ही राजा का एकमात्र लक्ष्य है। राजा का प्रत्येक कार्य प्रजा की खुशी और उनके कल्याण के लिए होना चाहिए। चारों वर्णों ~~की रक्षा~~ के धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। महाभारत में भीष्म ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि अयोग्य और दुराचारी राजा का जनता विरोध (निष्क्रिय प्रतिरोध) कर सकती है। एक निरंकुश, अत्याचारी शासक को हटाने के लिए जनता सशस्त्र विद्रोह कर सकती है। शांति पर्व में भीष्म कहते हैं कि राज्य पांच माध्यमों से समृद्ध होता है — (1) दुर्ग की रक्षा (2) युद्ध (3) न्याय के मानदंड तथा कसौटी के आधार पर प्रजा की रक्षा (4) नीतियों पर विचार विमर्श (5) लोगों के कल्याण हेतु कार्यरत रहना। जनता की बाहरी तथा सभी प्रकार के आंतरिक शत्रुओं से रक्षा एक राजनीतिक व्यवस्था में राजसत्ता पर आसीन व्यक्ति का परम कर्तव्य है।

Scanned with CamScanner

(1) शासन — शासन का प्रमुख कार्य समस्त प्रजा की रक्षा करना है। राजा, मंत्रियों व अन्य अधिकारियों को मिलकर कार्यपालिका बनती है। शांतिपर्व में मंत्रियों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया है कि जिस राजा के सामान्य (मंत्री) नहीं हैं वह राज्य को तीन दिन तक भी अपने अधिकार में नहीं रख सकता। इसलिए राजा और और बुद्धि युक्त मनुष्य को मंत्री नियुक्त करे। भीष्म के अनुसार राजा को राज्य शक्तियों का प्रयोग ऐसे मंत्रियों जिनके पास बौद्धिक तथा नैतिक सद्गुण हों, उनके सहयोग से करना चाहिए। शांतिपर्व के पचासीवें अध्याय में राज्य कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु सैंतीस मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। उनमें चार ब्राह्मण जाति के, सभी विद्याओं के ज्ञाता, आठ क्षत्रिय जाति के मंत्री शस्त्रों के प्रयोग में महारथ प्राप्त, इक्कीस वैश्य जाति के अपार धन के स्वामी तथा तीन शुद्ध हृदय के शूद्र जाति के मंत्री होंगे। इनके अतिरिक्त एक नैतिक गुणों से भरपूर पौराणिक विद्याओं के ज्ञाता व्यक्ति की भी मंत्री के रूप में नियुक्ति होनी चाहिए।

भीष्म विधि के शासन पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनके अनुसार विधि के चार स्रोत हैं — (1) देवसम्मत अर्थात ब्रह्मा द्वारा निर्मित (2) आर्ष स्रोत — ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित (3) लोक सम्मत — जनता की सम्मति से निर्मित (4) संस्था सम्मत — आदि काल की संस्थाओं द्वारा निर्मित जैसे — कुल धर्म, जाति धर्म, देश धर्म आदि। भीष्म के अनुसार राजा द्वारा इन चार स्रोतों द्वारा प्राप्त विधियों के पालन से राज्य को समृद्धि की प्राप्ति उसी प्रकार होती है जिस प्रकार चारों आश्रमों के धर्मों का पालन से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है।

(1) दंडनीति — शांतिपर्व के अनुसार दंड ही धर्म का नियंत्रक तथा रक्षक है। भीष्म के अनुसार दंडनीति के अभाव में मनुष्य के कार्यों को नियंत्रित करने वाली कोई विधि संहिता नहीं रह जाएगी। अगर दंडनीति समाप्त हो जाती है तब तीनों वेद विलुप्त हो जायेंगे तथा चारों वर्णों के कर्तव्य एक दूसरे से मिल जायेंगे। दंडनीति के नाश तथा राजधर्म के ओझल होने से सारे लोग बुराई को झेलेंगे। राजा के लिए आवश्यक है कि उसे दंडनीति का पूरा ज्ञान हो। दंड लोगों की रक्षा करता है। दंड के भय से पापी लोग पापकर्म नहीं करते हैं। भीष्म शांतिपर्व में समानता पर आधारित विधि के शासन की बात नहीं करते हैं। चारों वर्णों को उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर दंड दिया जाता था। ब्राह्मण वर्ण को विशेषाधिकार प्राप्त थे। भीष्म ने चार प्रकार के दंडों के विषय में कहा है — (1) दिग्दंड या निंदा, (2) वाग्दंड या फटकार (3) अर्थदंड या जुर्माना (4) वधदंड या मृत्यु दंड

Scanned with CamScanner

① कोष — भीष्म के अनुसार राजा को राजस्व की प्राप्ति के तीन स्रोत हैं — (1) बलि — भूमि द्वारा उत्पादित अन्न का सोलह प्रतिशत भाग (2) शुल्क — आयात तथा निर्यात कर (3) अपराधियों से वसूला गया आर्थिक दंड। ये सभी कर राजा द्वारा जनता से उन्हें दी जाने वाली सुरक्षा के बदले लिये जाते थे। शांतिपर्व के अनुसार यदि लोभ के कारण राजा जनता का शोषण अथवा बलपूर्वक अर्थ ग्रहण की नीति अपनाता है तब वह अपने ही अस्तित्व पर खतरा मोल लेता है। राजा को कर वसूली थोड़ी मात्रा में तथा धीरे-धीरे करनी चाहिए। कर प्रणाली न्यायोचित तथा उत्पादन के अनुरूप होनी चाहिए।

① शांतिपर्व के सत्ताइसवें अध्याय में अधिपतियों की नियुक्ति क्रमशः एक, दस, बीस, सौ तथा हजार ग्रामों पर होनी चाहिए। उनको अपने कार्यों की जानकारी अपने से ऊपर के अधिपति को देनी चाहिए। जैसे एक ग्राम के अधिपति को दस ग्रामों के अधिपति के पास अपने कार्यों के विषय में जानकारी देना चाहिए और इसी प्रकार यह क्रम आगे की ओर बढ़ता जायेगा। अंत में हजार ग्रामों का अधिपति सारी बातों की जानकारी राजा को देगा।

① अंतरराज्य संबंध तथा युद्ध नीति — शांतिपर्व के 80वें अध्याय में भीष्म कहते हैं कि मित्र चार प्रकार के होते हैं—

① सहार्थ — जो यह स्वीकार करते हैं कि शत्रु का विनाश दोनों मिलकर कर लेंगे और शत्रु राज्य का बंटवारा आपस में कर लेंगे।
② भजमान — पिता की ओर से रक्त संबंध से जुड़े मित्र
③ सहज — माता की ओर से रक्त संबंध से जुड़े मित्र
④ कृत्रिम — ऐसे मित्र जिनकी मित्रता उपहार स्वरूप प्राप्त हुई हो।

इनमें भजमान तथा सहज मित्र ही श्रेष्ठ हैं। सहार्थ तथा कृत्रिम मित्रों से सदा शंकित रहना चाहिए।

शांतिपर्व में भीष्म छः प्रकार के दुर्गों के विषय में चर्चा करते हैं- ① मरुभूमि युक्त दुर्ग ② महि दुर्ग ③ गिरि दुर्ग ④ मनुष्य दुर्ग ⑤ मृति (मिट्टी) दुर्ग ⑥ वन दुर्ग

शांतिपर्व में धर्म विजय की नीति अपनाने का वर्णन है। राजा यदि अधर्म का मार्ग अपनाकर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है तब ऐसा करके वह अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। महाभारत में वर्णित है कि राजा पर शस्त्र उठाने का कार्य सिर्फ क्षत्रिय ही कर सकता है। यदि दो पक्षों में युद्ध होने की संभावना में कोई वैदिक ब्राह्मण उनके मध्य शांति की स्थापना कराना चाहता है तब दोनों पक्षों को युद्ध की नीति छोड़ देनी चाहिए। युद्ध तथा संधि संबंधी मामलों पर भीष्म का कहना था कि जीवन रक्षा में शत्रु से भी संधि करना उचित है। राज्य के धन की रक्षा में जो शत्रु के साथ संधि तथा मित्र का विरोध करते हैं उनको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ऐसे मित्र जो अत्यंत भयभीत होते हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इस संसार में कोई भी किसी का मित्र या शत्रु बिना किसी

Scanned with CamScanner

कारण नहीं है। सच यह है कि स्वहित में शत्रु तथा मित्र संगठित होते हैं। स्वहित इतना महत्वपूर्ण है कि इसके कारण शत्रु मित्र तथा मित्र शत्रु बन जाते हैं।

भीष्म के राजनीतिक विचार महाभारत के शांतिपर्व में मिलते हैं इसके अतिरिक्त सभापर्व तथा आदिपर्व में भी तत्कालीन राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित महाकाव्य है जिसमें राज्य की उत्पत्ति, विदेश नीति, अंतरराज्य संबंध, राजा, मंत्रीयों तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों की विस्तृत चर्चा की गयी है।

Scanned with CamScanner

(6) दंड – राज्य की सात प्रकृतियों में दंड अर्थात सेना का स्थान महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के अधिकरण दो, अध्याय तैंतीस में कौटिल्य ने सेना के छः प्रकार बताये हैं– (1) मूल सेना (2) भृत्य बल (3) श्रेणी बल (4) मित्र बल (5) शत्रु बल (6) अटवी बल। सैन्य संग्रह के विषय में उन्होंने अर्थशास्त्र के नौवें अधिकरण के दूसरे अध्याय में अपने विचार व्यक्त किये हैं। कौटिल्य ने शस्त्र विद्या में निपुण क्षत्रिय सेना को सर्वश्रेष्ठ माना है। वीर योद्धाओं से युक्त वैश्य या शुद्रों की सेना को भी उन्होंने उत्तम श्रेणी में रखा है। उनके अनुसार सेना चतुरंगिनी है – हाथी, घोड़ा, रथ तथा पैदल। शत्रु सेना के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त कर विजिगीषु राजा का कर्तव्य है वह उससे अधिक शक्तिशाली सेना को गठन कर अपने विजय अभियान की ओर अग्रसर हो। राजा द्वारा दमनकारी शक्ति अर्थात दंड का बुद्धि पूर्वक प्रयोग उसे पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है तथा लोगों में सद्गुण का विकास करता है।

(7) मित्र – कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति एवं विकास के लिए तथा संकट के समय राज्य की सहायता के लिए मित्र की आवश्यकता होती है। उन्होंने तीन प्रकार के मित्रों की चर्चा की है – (1) प्राकृतिक मित्र – शत्रु राज्य का पड़ोसी राज्य (2) सहज मित्र – माता या पिता की ओर से रक्त संबंध से जुड़े मित्र (3) कृत्रिम मित्र – धन अथवा जीवन रक्षा के लिये राजा की शरण में आने वाले कृत्रिम मित्र

(•) न्याय व्यवस्था – अर्थशास्त्र में नागरिकों के जीवन, सम्पत्ति अतिक्रमण, मानहानि, हिंसात्मक प्रहार, स्वतंत्रता, शासन प्रणाली में लगे अधिकारियों से रक्षा हेतु व्यापक कानूनी प्रावधानों की चर्चा की गयी है। कौटिल्य ने विधि के चार अंगों की चर्चा की है – (1) धर्म – पवित्र विधि (2) व्यवहार – समसामयिक विधि (3) चरित्र – इतिहास तथा परम्पराओं पर आधारित विधि (4) न्याय – राजा के आदेश द्वारा निर्मित विधि। कौटिल्य ने राजा को विधि के स्रोत ही नहीं बल्कि उसकी घोषणाओं (आदेशों) को धार्मिक विधि से उपर स्थान दिया। उनके अनुसार वह राजा जो धर्म, व्यवहार, संस्था तथा तर्क के आधार पर न्याय करता है तब वह संसार में सफल होगा। जब कभी संस्था तथा धार्मिक विधि या व्यवहार में परस्पर विरोध हो तब धार्मिक विधि के आधार पर प्रकरण का निवारण होना चाहिए। परंतु यदि धार्मिक विधि तथा न्याय में विवाद हो तब न्याय का स्थान ऊपर होगा। कौटिल्य के अनुसार राज्य का एक मुख्य कार्य योगक्षेम या जनकल्याण था। यह तभी संभव था जब लोगों का जीवन तथा संपत्ति सुरक्षित हो। समाज में शांति को हमेशा चोर डाकुओं तथा हत्यारों का भय बना रहता है। इनके अतिरिक्त समाज विरोधी तत्वों – भ्रष्ट पदाधिकारियों कपटपूर्ण व्यापारियों एवं कारीगरों द्वारा भी लोककल्याण

Scanned with CamScanner